P-1

R.M.M. Law College - Saharsa.
Manoranjan Mandal | Part time Lecturer

Sub- Contract-1
Part-1

धारा 14 स्वतंत्र सम्मति (free consent)

यह धारा 'स्वतंत्र सम्मति' को परिभाषित करती है। सम्मति स्वतंत्र होती है, जब मनुष्य के क्रिया-कलाप जिसके द्वारा वह प्रभावित होती है, इस प्रकार से कार्य करते है कि उनके प्रयोग मे किसी प्रकार की बाधा अवरोधक नहीं होती है।

स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा- सम्मति [illegible] स्वतंत्र तब कही जाती है जब कि वह-

(i) न तो धारा 15 में यथापरिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो
(ii) न तो धारा 16 में यथा परिभाषित असम्यक असर (Undue influence) द्वारा कारित हो;
(iii) धारा 17 मे यथापरिभाषित कपट (fraud) द्वारा कारित हो
(iv) धारा 18 में यथापरिभाषित मिथ्या-व्यपदेशन (Misrepresentation) से या
(v) धारा 20, 21 और 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भूल (Mistake) से न कराई गयी हो।

Free consent defined— Consent is said to be free when it is not caused by—
1. coercion, as defined in section 15, or
2. undue influence, as defined in section 16, or
3. fraud, as defined in section 17, or
4. Misrepresentation, as defined in section 18, or
5. Mistake, subject to the provisions of section 20, 21 and 22.

Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existance of such coercion, undue influence, fraud, Misrepresentation or mistake.

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार जब कोई मनुष्य बिना किसी बाधा अथवा

Scanned with CamScanner

P-2 स्वतंत्र सम्मति (free consent)

अवरोध के कार्य करता है, अपनी सम्मति देता है तब उसे स्वतंत्र सम्मति कहा जाता है। इन्हीं बाधाओं का उल्लेख इस धारा में किया गया है। ये बाधाएं हैं-

(i) प्रपीड़न (coercion)
(ii) असम्यक असर (Undue influence)
(iii) कपट (fraud)
(iv) दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation) and
(v) Mistake

ऐसी सम्मति जो विवाध्यता, चाहे वह नैतिक हो अथवा भौतिक, के अधीन प्राप्त की जाती है, स्वतंत्र नहीं होती।

उदाहरणार्थ जहाँ किसी संविदा का एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति की प्रवंचना के परिणाम स्वरूप कोई करार करता है तो वहाँ उसकी सम्मति को स्वतंत्र नहीं कहा जायगा।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार - "सभी करार संविदा हैं यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किये जाते हैं" दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि मान्य संविदा में सम्मति ही नहीं बल्कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए।

तरसेम सिंह बनाम सुखमिंदर सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 13, 14 तथा 20 के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया कि - चूँकि पारस्परिक सम्मति को स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। यह एक वैध करार की अनिवार्य शर्त है। यदि कोई बात संविदा के अन्य पक्षकार द्वारा उसी अर्थबोध में नहीं समझी जाती, जिस अर्थ बोध के अन्तर्गत उसको संविदा के प्रथम पक्षकार द्वारा समझी गयी है। यह धारा 20 के अन्तर्गत प्रारम्भ से ही, उस करार को अवैधानिक बना देती है चाहे भले ही उस तथ्य की खोज वाद के किसी प्रक्रम पर होती है।

अगर संविदा का एक पक्षकार अनपढ़ है और उसे किसी विलेख के बारे में गलत पढ़ कर बताया गया है जिससे कि वह हस्ताक्षर कर दे तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने हस्ताक्षर से बाध्य नहीं होगा। साक्ष्यभार (Burden of proof) → प्रत्येक संविदा से यह अवधारणा की जाती है कि पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र हो। यदि पक्षकार ऐसा न होने का दावा करता है तो सिद्धि-भार उस पर है जो कि उसके बारे में करता है।

Scanned with CamScanner